

दि० :- 16.12.2017

प्रार्थी/अभिभाषक श्री राजेन्द्र यादव द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राज. अधिनियम Act. 1955 राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है। जिस पर राजस्व लिपिक द्वारा जाँच रिपोर्ट ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक रूप से तामील पश्चात् सुनवाई/निस्तारण हेतु अदम अनुपालना आदेश (वादी/प्रार्थी द्वारा जरिये तहसीलदार/रजिस्टर्ड ए०डी० डाक से सशुल्क तलवाना पेश करने के संबंध में विधिपूर्वक समुचित कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय अवधि हेतु शिथिलता दिये जाने की अवधि को छोड़ते हुये) दर्ज वाद पत्र काबिले खारिज होगा। प्रतिवादीगण जरिये तहसीलदार/रजिस्टर्ड ए०डी० डाक से सशुल्क तलवाना नोटिस जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतान्/असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.12.2017 को पेश हो।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

आज यह पत्रावली वादी का वकीलवादी की दावा (वादीज किपेज) के
वादीज किपेज के पेशे के पेशे हुये। हुना जमा। दावा की जाए
की जाए है शकिल शकिल रहे। दावा (वादीज किपेज) के
वादी के किपेज किपेज एवं तहसीलतन रूप के हुना किपेज /
किपेज पेशा के वकील वादी उकीलवादी के की। हुना
कीपेज कीपेज कीपेज तहसीलतन रूप के वकील पेशा के
वादी किपेज किपेज किपेज किपेज किपेज किपेज किपेज
किपेज किपेज किपेज किपेज किपेज किपेज किपेज किपेज
किपेज किपेज किपेज किपेज किपेज किपेज किपेज किपेज

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)